न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 45/2023–24 तारीख दायर :–06.02.2024 दिनांक निर्णय :–23.02.2024

पटवारी हल्का राजपुरबड़ा तहसील राजगढ तिला अलवर राजस्थान।

बनाम

सुदेश पुत्र आशाराम जाति नट निवासी राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

<u>अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान</u>
<u>भू0 राजस्व अधिनियम–1956</u>

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का राजपुरबड़ा द्वारा राजस्व ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 2372/73 रकबा 0.92हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.15 हैक्ट0 पर पक्की चार दीवारी, टयूबवेल, 2 कमरे बनाकर पक्का अतिक्रमण करने पर सुदेश पुत्र आशाराम जाति नट निवासी राजपुरबड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई। नियत सुनवाई तारीख को गैरसायल/अप्राथी अनुपस्थित रहा। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबडा व पटवारी हल्का राजपुरबड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी सुदेश पुत्र आशाराम जाति नट निवासी राजपुरबड़ा तहसील राजगढ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 2372/73 रकबा 0.92हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.15 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह 1. की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का राजपुरबड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 23.02.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. ग. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ ...37... पर ...पा.पे. 50/-
राशि ...... कये गये।

त. रा. लेखाकार